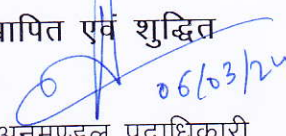
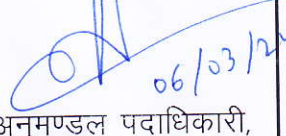


ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 ई0 वाद सं0-21/2019-20

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
06.03.24	आदेश प्रस्तुत आर0ई0 वाद सं0-21/2019-20 (विदेशी रवानी -बनाम-मनोज लाल एवं अन्य) आवेदक-विदेशी रवानी, सा0-पाथरौल, अंचल-करौं, जिला-देवघर के द्वारा मौजा-पाथरौल, थाना नम्बर-502, जमाबंदी नम्बर-214, दाग नम्बर-1741, 1742 एवं 1743, रकवा क्रमशः- 64 डी0, 62 डी0, एवं 63 डी0 कुल रकवा-1.89 एकड़ भूमि से विपक्षी-मनोज लाल, अवाद लाल, छोटन लाल, मुन्ना लाल, पिता-उदय लाल एवं रितेश लाल, जीतेश लाल, रूपेश लाल, पिता-नंद किशोर लाल, सा0-पाथरौल को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। 2. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण-पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, करौं से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, उनके पत्रांक-188/रा0, दिनांक-30.03.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 3. अंचल अधिकारी, करौं द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-पाथरौल, थाना नम्बर-502, जमाबंदी नम्बर-214, दाग नम्बर-1741, 1742 एवं 1743, रकवा क्रमशः-64 डी0, 62 डी0, एवं 63 डी0 कुल रकवा-1.89 एकड़ जमाबंदी रैयत शिव प्रसाद रवानी वो ठाकुर रवानी वो रामेश्वर रवानी वो धानो रवानी, पेशरान नेपाल रवानी कहकर गैजर पर्चा सर्वे पर्चा में दर्ज है। विपक्षी द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में अंचल कार्यालय, करौं का नामांतरण वाद सं0-36-5/1968-69 का आदेश की प्रति दिखाया। राजस्व लगान का भुगतान नंद किशोर लाल के नाम से वर्ष 2015-16 तक किया गया है, जो अंचल कार्यालय के पंजी-II में दर्ज है। आवेदित सम्पूर्ण भूमि पर विपक्षी का दखल-कब्जा है एवं इनके द्वारा उक्त भूमि के अंश रकवा पर सरकारी तालाब एवं कुआं बनाया गया है। 4. विपक्षी का कहना है कि आवेदित सम्पूर्ण भूमि टाईटल सूट वाद सं0-150/1966 द्वारा प्राप्त है। अंचल कार्यालय, करौं के नामांतरण वाद सं0-36-5/1968-69 द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण कराकर हमलोगों के दखल कब्जा में है। 5. उभय पक्षों को सुना एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। दाखिल कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की भूमि का स्वत्व निर्विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी संबंधी कोई भी आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	